कार्यालय जिलाधिकारी,हमीरपुर

D-288
संख्याः /सी.आर.ए.–तेरह–दैवीआपदा–कम्बल–अल्पकालीन निविदा सूचना(2015–16)दिनांकः09./11../2016

अल्प कालीन निविदा

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आलोच्य वर्ष 2016–17 में शासनादेश संख्या–1200/1–10–2016–12(34)/03टी0सी0–1, दिनांक–07 नवम्बर, 2016 से अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर से प्रभावित गृहविहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियो के बचाव हेतु शासन द्वारा कम्बल क्रय किये जाने हेतु धनावंटन उपलब्ध कराया गया है।

तत्क्रम मे उक्त प्रयोजनार्थ इस कार्यालय द्वारा लगभग 4000 कम्बल (जिसकी संख्या धनावंटन के सापेक्ष कम या ज्यादा भी हो सकती है) क्रय किये जाने है। उक्त कम्बल क्रय किये जाने हेतु दिनांक–25 नवम्बर, 2016 दिन शुक्रवार को अपरान्ह 1:00 बजे तक तक सील बन्द निविदायें अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), हमीरपुर कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं। निविदा उसी दिन अपरान्ह 1:30 बजे खोली जायेगी। निविदा के सम्बन्ध मे शर्तें निम्न प्रकार हैंः–

(अ)–निविदा के साथ कम्बल का नमूना भी सील बन्द करके प्रस्तुत करना होगा।

(ब)–आपूर्ति किये जाने वाले कम्बल की लम्बाई कम से कम 235 सेमी, चौड़ाई कम से कम 140 सेमी, तथा वजन कम से कम 2 किलो 200 ग्राम होना चाहिये। इन कम्बलों में कम से कम 70 प्रतिशत ऊन होनी चाहिये। पुराने यार्न का प्रयोग नहीं होना चाहिये।

(स)–कम्बल की कीमत ₹ 500–00 (पाँच सौ रुपये मात्र) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(द)–आपूर्तित संस्था/फर्म को इस आशय का टैग लगाना होगा जिस पर सम्बन्धित संस्था का नाम, कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है जो बिक्री योग्य नहीं है।

(य)–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–8/2016/548/18–2–2016–12(एस0पी0)/2010, दिनांक–12 अगस्त, 2016 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

(र)–कम्बलों की आपूर्ति जनपद की समस्त तहसील मुख्यालयों पर स्वीकृत संस्था/फर्म द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत (आपूर्ति आदेश मिलने की तिथि से 08 दिन के अन्दर) करना अनिवार्य है। जिसका समस्त व्यय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो इसके लिए दिनांक–10.11.2016 से 24.11.2016 तक किसी भी कार्यालय दिवस पर प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे के मध्य आकर संग्रह अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है। संलग्न निविदा प्रपत्र प्रारूप पर सम्पूर्ण सूचनाएं भरकर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जानी है। उक्त प्रपत्र संस्था/फर्म के लेटर पैड अथवा सफेद कागज पर मुद्रित कराकर भी संलग्न किया जा सकता है।

(उदयवीर सिंह यादव)
जिलाधिकारी
हमीरपुर

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ।
2–जिलाधिकारी, जनपद–महोबा, चित्रकूट, बाँदा, झाँसी, जालौन, ललितपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, इलाहाबाद।
3–समस्त तहसीलदार/उपजिलाधिकारी जनपद–हमीरपुर को नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु एवं व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
4–समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जनपद हमीरपुर।
5–सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग क्रेन्द्र, हमीरपुर।
6–श्री गांधी आश्रम हमीरपुर/मौदहा/राठ (द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार)।
7–प्रबन्धक यूपिका शोरूम/प्रबन्धक यू0पी0 हैण्डलूम हमीरपुर।
8–जिला सूचना अधिकारी हमीरपुर को 13 अतिरिक्त प्रतियों के साथ इस आशय से कि सभी समाचार पत्रों में उक्त पत्र का निःशुल्क प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।
9–प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
10–नाजिर सदर कलेक्ट्रेट हमीरपुर को नोटिस बोर्ड में चस्पा कराने हेतु।

(उदयवीर सिंह यादव)
जिलाधिकारी
हमीरपुर

कम्बल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निविदा प्रपत्र का प्रारूप

जनपदः—हमीरपुर (उ0प्र0)

क्रम सं0	संस्था/फर्म का नाम एवं पता	संस्था द्वारा प्रस्तुत कम्बल की विशेषता				संस्था द्वारा प्रस्तुत कम्बल आपूर्ति की दर (₹ में) प्रति कम्बल	फर्म/संस्था का टिन नम्बर
		साइज (से.मी. में)		वजन (किग्रा. में) (2.200 Kg.)	ऊलन की मात्र % में (70%)		
		लम्बाई (235 CM)	चौड़ाई (140 CM)				
1	2	3		4	5	6	7

नोटः—उक्त निविदा सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योगोग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थायें, श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की क्रय अनिवार्यता प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अनुभाग—2 लखनऊ के शासनादेश संख्या—8/2016/548/18—2—2016—12(एस0पी0)/2010, दिनांक—12.08.2016 के अधीन होगी।

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

संख्याः–डी–287 /सी.आर.ए.तेरह.दैवी आपदा.–कम्बल क्रय गुणवत्ता (2015–16), दिनांक–09 नवम्बर,2016

आदेश

मा0 सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ के शासनादेश संख्या–1200/1–10–2016–12(34)/03टी0सी0–1, दिनांक–07 नवम्बर, 2016 के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में ओलावृष्टि के पूरक यथा अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु ₹ 5,00,000–00 (पांच लाख रुपया मात्र) प्रति तहसील की दर से (कुल चार तहसील हेतु) कुल ₹ 20,00,000–00 (बीस लाख रुपये मात्र) कम्बल आदि क्रय हेतु जनपद हमीरपुर को धनावंटन उपलब्ध कराया गया है। तत्क्रम में दिनांक–25 नवम्बर, 2016 दिन शुक्रवार को कम्बल प्राप्त किये जाने हेतु निविदा की तिथि नियत की गयी है। शासनादेश संख्या–1200 दिनांक–07 नवम्बर, 2016 के क्रम में शासन द्वारा क्रय किये गये कम्बलों की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुसार सुनिश्चित करने हेतु कम्बलों की निम्न बिन्दुओं पर गुणवत्ता का परीक्षण करने हेतु निम्नानुसार क्रय समिति के सदस्य नामित किये जाते हैं।

1–डा0 राजेश कुमार प्रजापति, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), हमीरपुर।

2–श्री आर0के0 गौतम, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, हमीरपुर।

3–श्री विमल द्विवेदी, सहायक प्रबन्धक (प्रावि0), जिला उद्योग केन्द्र, हमीरपुर।

विस्तृत जानकारी हेतु मा0 सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ के शासनादेश संख्या–1200/1–10–2016–12(34)/03टी0सी0–1, दिनांक–07 नवम्बर, 2016 एवं मा0 प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन सूक्ष्य, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 लखनऊ के शासनादेश संख्या–8/2016/548 /18–2–2016–12 (एस0पी0)/2010, दिनांक–12 अगस्त, 2016 की छायाप्रति संलग्न है।

क्रय समिति के सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक–25 नवम्बर, 2016 दिन शुक्रवार को अपरान्ह 1:00 बजे तक अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), हमीरपुर कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त कम्बलों के सम्बन्ध में उसकी गुणवत्ता एवं मानक के सम्बन्ध में अपनी आख्या स्पष्ट संस्तुति के साथ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(उदयवीर सिंह यादव)
जिलाधिकारी
हमीरपुर

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–संलग्नक की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–डा0 राजेश कुमार प्रजापति, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), हमीरपुर।

2–श्री आर0के0 गौतम, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, हमीरपुर।

3–श्री विमल द्विवेदी, प्रभारी सहायक प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हमीरपुर।

4–प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट हमीरपुर को इस निर्देश के साथ कि क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष प्राप्त होने वाले संस्थाओं के नाम व उपलब्ध कराये गये कम्बलों के नमूने प्रस्तुत करेंगे तथा समिति के सदस्यों को सहयोग प्रदान करेंगे।

(उदयवीर सिंह यादव)
जिलाधिकारी
हमीरपुर

संख्या-8/2016/548/18-2-2016-12(एस0पी0)/2010

प्रेषक

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं निदेशक
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3- प्रवन्ध निदेशक/मुख्य कार्य पालक अधिकारी,
समस्त शासकीय नियंत्रणाधीन निगम/परिषद/प्राधिकरण/स्वायत्तशाषी संस्थायें, उ0 प्र0।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 12 अगस्त, 2016

विषयः- सरकारी विभागों एवं शासकीय नियन्त्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/ परिषदों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थायें, श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की क्रय अनिवार्यता।

महोदय,

प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर इकाइयों के महत्व तथा हथकरघा उद्योग से जुड़े बुनकरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-155 वी.आई.पी./18-5-98-59(एसपी)/92, दिनांक 26 अक्टूबर, 1998 द्वारा 11 (ग्यारह) प्रकार के वस्त्रों का क्रय उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0 एवं यूपिका से अनिवार्यतः क्रय करने के आदेश कतिपय शर्तो के अधीन दिये गये थे, जो 01 वर्ष के लिए प्रभावी थे। बाद में इस शासनादेश की परिसीमा में उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थायें, श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0 निर्यात निगम को भी सम्मिलित किया गया तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध करायी जाने वाली वर्दी को शासनादेश की परिसीमा से बाहर रखते हुए शासनादेश संख्या-3067/18-5-99-59(एसपी)/92, दिनांक 27 दिसम्बर, 1999 जारी किया गया, जो एक वर्ष के लिए प्रभावी था, तदुपरान्त पुनः इस शासनादेश की अवधि प्रत्येक वर्ष बढ़ायी जाती रही हैं। अंतिम बार अवधि विस्तार शासनादेश संख्या-3/618/18-2-2015-12(एसपी)/2010, दिनांक 17 अगस्त, 2015 द्वारा जारी किया गया था, जो दिनांक 31-3-2016 तक प्रभावी था ।

2- इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं (क्रेता एजेन्सी) द्वारा उ0 प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0 प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थायें, श्री गांधी आश्रम, उ0 प्र0 हस्तशिल्प विपणन निगम (जिन्हें आगे आपूर्तिकर्ता संस्था कहा गया है) द्वारा उत्पादित 11 प्रकार के वस्त्रों, को क्रय करने की अवधि,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिनांक 31-3-2019 तक के लिये निम्नलिखित शर्तों के साथ बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) आपूर्तिकर्ता संस्थायें जिन वस्तुओं का स्वयं अथवा अपनी संस्था के अधीन पंजीकृत इकाईयों व सोसायटियों के माध्यम से उत्पादन करती अथवा कराती हैं, उनकी एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मूल्यांकन कराकर आपूर्ति करेंगी। यदि किन्हीं कारणवश उक्त संस्थायें क्रयादेश की सीमा तक उत्पादित वस्तुओं की आपूर्ति कर पाने में सक्षम नहीं हो पाती हैं अथवा संस्था आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का उत्पादन नहीं करती है तो वह ऐसी स्थिति में उक्त वस्तुओं की आपूर्ति किसी अन्य संस्था अथवा उत्पादक से क्रय कर, कर सकती हैं, किन्तु इसके लिए उन्हें अनिवार्य रूप से सामग्री क्रय प्रक्रिया का पालन करते हुए टेण्डर के माध्यम से दर सुनिश्चित करनी होगी ।

(2) आपूर्तिकर्ता संस्था उत्पादित या क्रय मूल्य पर (जैसी स्थिति हो), 5.5 प्रतिशत प्रशासनिक तथा पर्यवेक्षण चार्ज ले सकेगी। आपूर्ति पर लगने वाले सभी प्रकार के कर- वैट इत्यादि एवं प्रशासनिक तथा पर्यवेक्षण चार्ज के भुगतान का दायित्व क्रेता विभाग का होगा।

(3) क्रेता संस्था का दायित्व होगा कि वह आपूर्तिकर्ता संस्था को, आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की पूर्ण एवं स्पष्ट विशिष्टियां समय से उपलब्ध कराये तथा आवश्यकतानुसार ऐसी सामग्री का सैम्पुल अनुमोदित करे। क्रेता संस्था आपूर्ति की गयी सामग्री निर्धारित मानक के अनुसार होने एवं मात्रा पूर्ण होने का प्रमाणपत्र आपूर्तिकर्ता संस्था को उसके द्वारा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायेगी।

(4) वस्तुओं की दर एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व आपूर्तिकर्ता संस्थाओं का होगा। आपूर्तिकर्ता संस्थाये इस संबध में अपने यहां प्रदेश स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी नामित करेंगी, जिसका यह दायित्व होगा कि सामग्री की दर एवं गुणवत्ता उचित है। नोडल अधिकारी यह प्रमाणपत्र भी क्रेता एजेन्सी को देगा कि आपूर्तित वस्त्रों को इससे कम दरों पर किसी संस्था अथवा अन्य स्रोत से क्रय नहीं किया गया है।

(5) उ0प्र0 खादी बोर्ड की प्रमाणित तथा वित्त पोषित संस्थाओं द्वारा क्रयादेश हेतु सीधे आवेदन नहीं किया जायेगा अपितु उनके द्वारा यूपिका के पैटर्न पर बोर्ड के माध्यम से आपूर्ति की जायेगी। उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड अपने अधीन प्रमाणित तथा वित्त पोषित संस्थाओं की कार्य क्षमता के अनुरूप तथा गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के अनुरूप अपेक्षित प्रक्रिया (mechanism) विकसित करेगा। श्री गांधी आश्रम पूर्व की भांति सीधे क्रयादेश ले सकेंगे।

(6) यदि कोई विभाग किन्हीं विशेष अथवा अपरिहार्य कारणों से उक्त क्रय अनिवार्यता से छूट चाहते हैं तो वह अपना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग को प्रस्तुत करेगा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव पर मा0 मुख्यमंत्री जी का आदेश प्राप्त कर तदनुसार छूट प्रदान करेगा।

(7) पुलिस विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उपलब्ध करायी जाने वाली वर्दी को इस शासनादेश की सीमा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(8) हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग का परामर्श प्राप्त कर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वेब पोर्टल की व्यवस्था प्रदेश के किसी एक जनपद में जनपद स्तरीय आपूर्ति आदेशों के लिये लागू की जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत क्रय हेतु आरक्षित 11 उत्पाद तथा सामग्रियों की सूची निम्नवत है:-

(1) सूटिंग एवं शर्टिंग (खाकी, नेवी ब्लू, ग्रे, सफेद आदि सभी रंगों में)।

(2) काटन बेड दरी (सभी किस्म एवं रंगों में)।

(3) हक्का बैक/हनी कोम्ब/टेरी टावेल।

(4) साड़ी एवं धोती।

(5) बेड-शीट एवं पिलो कवर।

(6) परदे के कपड़े एवं टेपेस्ट्री (सोफा इत्यादि के प्रयोग हेतु)।

(7) ऊनी कम्बल(सभी प्रकार के)

(8) फर्शी दरी।

(9) ऊनी वर्दी का कपड़ा।

(10) गाज बैण्डेज क्लाथ।

(11) दो सूती क्लाथ।

3- कृपया उक्तानुसार प्राविधानित व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों, निगमों व प्राधिकरणों को शासनादेश के अनुपालन हेतु सम्यक् निर्देश जारी करें।

2- प्रमुख सचिव हथकरधा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को इस आशय से प्रेषित कि कि समस्त निगमों/उपक्रमों को शासनादेश के अनुपालन हेतु निर्देश जारी करें।

5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य हथकरधा निगम, लखनऊ।

6- प्रबन्ध निदेशक, यूपिका, लखनऊ।

7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 हस्तशिल्प विपणन निगम, लखनऊ।

8- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।

9- गोपन अनुभाग-1/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

आर0 ए0 सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1200 /1-10-2016-12(34)/03टी०सी०-1

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

(डा० राजेश कुमार प्रजापति)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 07 नवम्बर, 2016

विषय: वर्ष 2016-17 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2016-17 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये धनावंटन हेतु एम०एच०ए० के पत्र संख्या-32-7/2014-एन०डी०एम०-1, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 द्वारा जारी गाइड लाइन के आईटम नं0-3(क) के प्राविधान-राहत कैम्प में सुरक्षित बचाकर लाये गये व्यक्तियों/शरणार्थियों/प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा आदि की व्यवस्था किये जाने के आलोक मे गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु कम्बल क्रय के लिये रू0 5,00,000/- (रूपये पाँच लाख मात्र) प्रति तहसील की दर से 342 तहसीलों हेतु रू0 17,10,00,000/- (रूपये सत्रह करोड़ दस लाख मात्र) एवं अलाव जलाने हेतु रू0 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) प्रति तहसील के दर से 342 तहसीलों हेतु रू0 1,71,00,000/- (रूपये एक करोड़ इकहत्तर लाख मात्र) कुल रू0 18,81,00,000/- (रूपये अठारह करोड़ इक्यासी लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण/शर्तो के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

मण्डल का नाम	जनपद का नाम		तहसीलों की संख्या	कम्बल हेतु आवंटित धनराशि (रूपये में)	अलाव हेतु आवंटित धनराशि (रूपये में)	कुल धनराशि (रूपये में)
1--सहारनपुर	1	सहारनपुर	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	2	मुजफ्फरनगर	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	3	शामली	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
2--मेरठ	4	मेरठ	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	5	हापुड़	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	6	गाजियाबाद	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	7	बुलन्दशहर	7	35,00,000	3,50,000	38,50,000
	8	गौतमबुद्धनगर	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	9	बागपत	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
3--आगरा	10	आगरा	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
	11	मथुरा	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	12	फिरोजाबाद	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000

Scanned by CamScanner

	13	मैनपुरी	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
4–अलीगढ़	14	अलीगढ़	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	15	एटा	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	16	कासगंज	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	17	हाथरस	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
5–बरेली	18	बरेली	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
	19	बदायूँ	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	20	शाहजहाँपुर	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	21	पीलीभीत	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
6–मुरादाबाद	22	मुरादाबाद	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	23	रामपुर	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
	24	बिजनौर	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	25	अमरोहा	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	26	सम्भल	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
7–कानपुर	27	कानपुर नगर	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	28	कानपुर देहात	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
	29	इटावा	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
	30	फर्रुखाबाद	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	31	कन्नौज	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	32	औरैया	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
8–इलाहाबाद	33	इलाहाबाद	8	40,00,000	4,00,000	44,00,000
	34	फतेहपुर	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	35	प्रतापगढ़	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	36	कौशाम्बी	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
9–झांसी	37	झांसी	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	38	ललितपुर	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	39	जालौन	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
10–चित्रकूटधाम	40	हमीरपुर	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	41	महोबा	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	42	बांदा	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	43	चित्रकूट	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
11–वाराणसी	44	वाराणसी	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	45	जौनपुर	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
	46	गाजीपुर	7	35,00,000	3,50,000	38,50,000
	47	चन्दौली	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
12–मिर्जापुर	48	मिर्जापुर	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	49	सोनभद्र	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	50	संत रविदास नगर	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
13–आजमगढ़	51	आजमगढ़	8	40,00,000	4,00,000	44,00,000
	52	मऊ	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	53	बलिया	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
14–गोरखपुर	54	गोरखपुर	7	35,00,000	3,50,000	38,50,000
	55	महराजगंज	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	56	देवरिया	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	57	कुशीनगर	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
15–बस्ती	58	बस्ती	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000

हाथ प्रति प्रमाणित

Scanned by CamScanner

09/11/2016